न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 18/2024 उनवान लक्ष्मण बनाम रामरतन

लक्ष्मण पुत्र स्व. रामकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य

—प्रार्थीगण

बनाम

रामरतन पुत्र रघुनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 14.06.2024

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने पेश किया जिसे दिनांक 16.04.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 11 एक ही पूर्वाधिकारी श्री रामनाथ वल्द हीरा के वारिसान है तथा जिनकी की सहखातेदारी की आराजी ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1786 रकबा 10.5866 हैक्टेयर स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 का 5/16 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि रामनाथ वल्द हीरा की भूमि थी जिसके देहावसान के बाद विरासती नामान्तरण संख्या 1889 दिनांक 10.03.2016 को रामनाथ वल्द हीरा के स्थान पर हरलाल जयदेव, हरिबक्ष, रामरतन पिता रघुनाथ , कमला, सीता पुत्रिया रघुनाथ, रामकरण पिता रामनाथ का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी रामकरण पुत्र रामनाथ का देहावसान होने के बाद उसके स्थान पर लक्ष्मण, रामलाल पिता रामकरण, लादी सुरता पुत्रियां रामकरण का नाम नामान्तरण संख्या 2687 दिनांक 13.12.2021 को दर्ज किया गया। अक्टूबर 2023 में राजस्व रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 में में प्रार्थीगण का दिनांक 13.12.2021 को विरासती नामान्तरण दर्ज होने के बावजूद भी वर्तमान में जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं है, संबंधित विभाग से जानकारी करने पर पता चला कि उनका निहित हिस्सा भी वर्तमान जमाबन्दी में रघुनाथ के वारिसान के नाम दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

…है। उक्त त्रुटिपूर्व इन्द्राज का लाभ लेकर अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा इसी के क्रम में हरलाल पुत्र रघुनाथ ने अपने अवविधिक रूप से दर्ज हिस्से को अपने पोते राजू पुत्र सत्यनारायण को जरिये उपहार प्रलेख प्रदत्त कर दिया है और हरिवक्ष पुत्र रूघनाथ जो कि नाऔलाद है, ने भी अपना हिस्सा रामरतन के पुत्र गिरधारी को उपहार में प्रदत्त कर दिया है। जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। श्रीमान उक्त वर्णित भूमि ग्राम लाम्बा में प्रार्थीगण का प्रत्येक का पृथक पृथक 1/56 , 1/56 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/84, 1/84 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 04 से 09 का पृथक पृथक 1/504 , 1/504 हिस्सा इन्द्राज होना था जो कि नहीं हुआ जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादअधीन भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक भी भूमि का बेचान, रहन, अन्तरण नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्त हुये किन्तु दिनांक 07.06.2024 तक भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विधिवत तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 07.06.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

2. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विरासत के नामान्तरण संख्या 1889 से ताईद है कि आराजी खसरा संख्या 1786 प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है तथा नामान्तरण संख्या 2687 प्रार्थीगण के पिता रामकरण की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण के नाम नामान्तरण पटवार हल्का द्वारा भरा गया किन्तु वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणों का नाम दर्ज नहीं है। प्रकरण में अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान साक्ष्य व सुनवाई से तय किये जायेगें किन्तु यदि वादअधीन भूमि का अन्तरण वर्तमान में किया जाता है तो वाद बहुलता बढेगी अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 11 को वाद में वर्णित भूमि ग्राम लाम्बा तहसील अरांई स्थित खसरा संख्या 1786 रकबा 10.5866 हैक्टैयर का मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगणों के अर्न्तनिहित हिस्से तक अन्तरण नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने [illegible] है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.0[illegible]2024 [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)